रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-14052024-254187 CG-DL-E-14052024-254187

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1890]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 14, 2024/वैशाख 24, 1946 NEW DELHI, TUESDAY, MAY 14, 2024/VAISAKHA 24, 1946

No. 1890]

गृह मंत्रालय अधिसचना

नई दिल्ली, 14 मई, 2024

का.आ. 1983(अ).—िलबरेशन टाइगर्स ऑफ तिमल ईलम (जिसे इसमें इसके पश्चात एलटीटीई कहा गया है) श्रीलंका स्थित एक संगम है, किन्तु इसके समर्थक, इससे सहानुभूति रखने वाले तथा कार्यकर्ता भारत के राज्य क्षेत्र में हैं;

और, सभी तमिलों के लिए एक पृथक राष्ट्र का (तमिल ईलम)एलटीटीई का उद्देश्य भारत की प्रभुता और राज्यक्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरा पैदा करता है, और जिसका अर्थ भारतीय राज्य क्षेत्र के एक भाग को भारत संघ से अध्यर्पण और उसे विलग करना है, और इस प्रकार यह विधिविरुद्ध क्रियाकलापों के दायरे में आता है;

और, केन्द्रीय सरकार ने, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (एलटीटीई) को अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1730(अ), तारीख 14 मई, 2019 द्वारा एक विधिविरुद्ध संगम के रूप में घोषित किया था।

और, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण ने, जो विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 5 के अधीन न्यायनिर्णयन के प्रयोजन के लिए गठित किया गया था, यह पता लगाने के पश्चात् कि एलटीटीई को विधिविरुद्ध संगम के रूप में घोषित करने के लिए पर्याप्त कारण था, अधिसूचना संख्यांक का.आ. 4233 (अ), तारीख 21 नवम्बर, 2019 द्वारा इस प्रकार की गई घोषणा की पृष्टि की थी;

3019 GI/2024 (1)

और, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन प्रतिबंध की घोषणा 13 मई, 2024 को समाप्त होती है;

और, केंद्रीय सरकार की राय है कि एलटीटीई अभी भी उन क्रियाकलापों में लिप्त है जो देश की अखंडता और सुरक्षा के प्रतिकूल हैं, जो अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित पर आधारित है, अर्थात :

- i. एलटीटीई ने, श्रीलंका में मई, 2009 में अपनी सैन्य हार के पश्चात भी 'ईलम' की संकल्पना का परित्याग नहीं किया है और 'ईलम' उद्देशय के लिए, छुपे तौर पर निधियों को उगाहने और प्रचार क्रियाकलापों में कार्यरत है और एलटीटीई के शेष नेताओं या काडरों ने बिखरे हुए कार्यकर्ताओं को पुनः समूहबद्ध करने तथा संगठन को स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर पुनर्जीवित करने के प्रयास प्रारंभ कर दिए हैं;
- ii. एलटीटीई समर्थक समूह/तत्व पृथकवादी प्रवृत्ति को जनता के मध्य प्रोत्साहित करने में लगे हैं और भारत में और विशिष्टतया तमिलनाडु में, एलटीटीई के समर्थन आधार को बढ़ा रहे हैं, जो अंततोगत्वा भारत की प्रभुता और राज्यक्षेत्रीय अखंडता पर प्रबल विघटनकारी प्रभाव डालेगा;
- iii. विदेश में रहने वाले एलटीटीई से सहानुभूति रखने वाले, एलटीटीई की हार के लिए भारत सरकार को उत्तरदायी मानते हुए, तिमलों के बीच भारत विरोधी भावनाओं को फैलाना जारी रखे हुए हैं, जिसे यदि नहीं रोका गया तो यह तिमल लोगों के बीच केंद्रीय सरकार और भारत के संविधान के प्रति घृणात्मक भाव पैदा करेंगे;
- iv. प्रतिबंध के लागू होने के बावजूद, एलटीटीई समर्थक संगठन और व्यक्तियों के क्रियाकलाप संज्ञान में आए हैं और ऐसी शक्तियाँ एलटीटीई को अपना समर्थन देने में प्रयासरत हैं;
- v. एलटीटीई के नेताओं, सक्रिय कर्ताओं और समर्थकों ने उनके संगठन पर भारत की नीति और उनके क्रियाकलापों को नियंत्रित करने में राज्य तंत्र द्वारा की गई कार्रवाई का विद्वेषतापूर्वक विरोध किया है;
- vi. अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1730 (अ), तारीख 14 मई, 2019 द्वारा प्रकाशित अंतिम अधिसूचना से एलटीटीई, एलटीटीई समर्थक समूहों या तत्वों के विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1967 के अधीन मामले रिजस्ट्रीकृत किए गए हैं, जो कि उपदर्शित करता है कि एलटीटीई और उसके शेष कैडर, अनुयायी और समर्थक, एलटीटीई के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए अवैध मादक द्रव्यों, आयुधों की तस्करी सहित विभिन्न आपराधिक क्रियाकलापों में शामिल हैं;

और, केंद्रीय सरकार की यह राय है कि एलटीटीई के पूर्वोक्त क्रियाकलापों, भारत की प्रभुता और राज्यक्षेत्रीय अखंडता के साथ साथ लोक शांति के लिए भी लगातार एक खतरा है और अहितकर है और इसलिए इसे विधिविरुद्ध संगम घोषित किया जाना चाहिए;

और, केंद्रीय सरकार की यह और राय है कि - जब से एलटीटीई ने:-

- (i) अपने विघटनकारी, अलगाववादी और विलगनकारी क्रियाकलापों को जारी किया है, जो कि भारत की प्रभुता और राज्य क्षेत्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं; और
- (ii) अपना प्रबल भारत-विरोधी रुख जारी किया है, जिससे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा होता है;

एलटीटीई को तुरंत प्रभाव से विधिविरुद्ध संगम घोषित करने की आवश्यकता है;

अतः अब केंद्रीय सरकार, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तिमल ईलम (एलटीटीई) को एक विधिविरुद्ध संगम घोषित करती है और निदेश देती है कि यह अधिसूचना, उक्त अधिनियम की धारा के 4अधीन किए जा सकने वाले किसी आदेश के अध्यधीन, राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से पाँच वर्ष की अविध के लिए प्रभावी होगी।

[फा. सं. 11034/2/2024-सी टी-II]

अभिजीत सिन्हा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 14th May, 2024

S.O. 1983(E).—WHEREAS the Liberation Tigers of Tamil Eelam (hereinafter referred to as the LTTE), is an association based in Sri Lanka but having its supporters, sympathisers and agents in the territory of India;

AND WHEREAS the LTTE's objective for a separate homeland (Tamil Eelam) for all Tamils threatens the sovereignty and territorial integrity of India, and amounts to cession and secession of a part of the territory of India from the Union and thus falls within the ambit of unlawful activities;

AND WHEREAS, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government declared the LTTE as an unlawful association, vide notification number S.O. 1730(E), dated the 14th May, 2019.

AND WHEREAS the Unlawful Activities (Prevention) Tribunal, constituted under section 5 of the Unlawful Activities (Prevention) Act 1967 for the purpose of adjudicating whether or not, after finding that there was sufficient cause for declaring the LTTE as an unlawful association, by its order published, vide notification No. S.O.4233 (E), dated the 21st November, 2019 had confirmed the declaration, so made;

AND WHEREAS the declaration of ban under sub-section (1) of section 6 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967) ceases on the 13th May, 2024

AND WHEREAS the Central Government is of the opinion that LTTE is still indulging in the activities which are prejudicial to the integrity and security of the country, inter-alia, on the following grounds, namely: -

- (i) even after its military defeat in May, 2009 in Sri Lanka, LTTE has not abandoned the concept of 'Eelam' and has been clandestinely working towards the 'Eelam' cause by undertaking fund raising and propaganda activities and the remnant LTTE leaders or cadres have also initiated efforts to regroup the scattered activists and resurrect the outfit locally and internationally;
- (ii) the pro-LTTE groups/elements continue to foster a separatist tendency amongst the masses and enhance the support base for LTTE in India and particularly in Tamil Nadu, which will ultimately have a strong disintegrating influence over the territorial integrity of India;
- (iii) the LTTE sympathizers living abroad continue to spread anti-India propaganda among Tamils holding the Government of India responsible for the defeat of the LTTE, which, if not checked, is likely to develop a sense of hate among Tamil Populace towards the Central Government and the Indian Constitution;
- (iv) despite the ban in force, the activities of pro-LTTE organisations and individuals have come to notice and, attempts have been made by these forces to extend their support to the LTTE;
- (v) the LTTE leaders, operatives and supporters have been inimically opposed to India's policy on their organisation and action of the State machinery in curbing their activities;
- (vi) cases have been registered under the Unlawful Activities (Prevention) Act 1967, against LTTE, pro-LTTE groups or elements since the last notification published vide number S.O. 1730 (E), dated the 14th May, 2019 which indicate that LTTE and its remnant cadres, followers and supporters are involved in various criminal activities, including smuggling of illegal drugs, arms for furtherance of objective of the LTTE;

AND WHEREAS the Central Government is of the opinion that the aforesaid activities of the LTTE continue to pose a threat to, and are detrimental to the sovereignty and territorial integrity of India as also to the public order and, therefore, it should be declared as an unlawful association;

AND WHEREAS the Central Government is further of the opinion that - since LTTE continues -

- (i) with its disruptive, separatist and secessionist activities, which are prejudicial to the integrity and sovereignty of India; and
- (ii) its strong anti-India posture thereby posing a grave threat to the security of Indian nationals,

it is necessary to declare LTTE as an unlawful association with immediate effect;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby declares the Liberation Tigers of Tamil Eelam (the LTTE) as an unlawful association and directs that this notification shall, subject to any order that may be made under section 4 of the said Act, have effect for a period of five years from the date of its publication in the Official Gazette.

[F.No.11034/2/2024-CT-II]

ABHIJIT SINHA, Jt. Secy.